

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) प्रचायत समिति ५७

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

शुक्रगणी पुर्वी मगवाना नाम राजस्थान सरकार पारि वरहीलफार

दावा बाबत नाम इरही अन्तर्गत एम। 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 121 / 2022

निर्णय दिनांक :- 10.06.2022

वादी की ओर से श्री इरही स्वामी की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.06.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वामी किया जाकर शही ग्राम बादर खाता सं. 346 खं. नं. 437 की पत्रावली में अंकित शुक्रगणी पुर्वी मगवाना के स्थान पर शुक्रगणी पुर्वी मगवाना में किसे जाने की घोषणा की जाती है। वरहीलफार पूरा उबता उलाप वापस्व अखिलेश्वर में अमल कराया करे। वादी के विरुद्ध पूर्व के किसी अपाधिक प्रकाण दर्ज होने की स्थिति या सरकारी सजा की स्थिति के पूर्व कोई भी कार्य होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.06.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

